न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 54 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

भैरूसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत, निवासी वांगरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

.... अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरलाल पिता स्व. टेकचन्द डांगी, नि0 वांगरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. देवीलाल पिता स्व. टेकचन्द डांगी, नि0 वांगरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. श्रीमती देउबाई पत्नी स्व. टेकचन्द डांगी, नि.वांगरोदा, तह.मावली, जिला उदयपुर
4. चौथमल पिता जीवा डांगी, निवासी वांगरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
5. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
6. पटवारी, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरियेतहसीलदार,मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0
अधिनियम1955विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्डअधिकारी,मावलीदिनांक
12–03–2018 प्रकरण संख्या 304 / 11

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :–1–श्रीमनीष शर्माअभिभाषकअपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक21–08–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा वांगरोदी में आराजी नंबर 314, 331, 340, 543 / 263, 544 / 264, 560 / 245, 573 / 299 कुल किता 7 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 1 / 2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1 / 2 हिस्से से दर्ज है, किन्तु मौके पर भाई पांति बंटवारा होकर आराजी नंबर 543 / 263 रकबा 12 बिस्वा व 544 / 264 रकबा 8 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से में आयी इसी अनुसार वे काबिज हैं। उक्त 1 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 14–07–2004 को मुझ वादी को बिल एवज 3,00,000 / – रूपये में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं इसकी पुष्टि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested

एक 100/– रूपये का स्टाम्प निष्पादित कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये, तब से उक्त आराजियात पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। उक्त क्रय शुदा भूमि की रजिस्ट्री हेतु वादी से प्रतिवादीगण को कई बार कहा, किन्तु वे टालमटोल करते रहे एवं रजिस्ट्री नहीं करवायी, इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा। अतः वादी को उक्त क्रय शुदा 1 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने जिस अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है, जो फर्जी एवं बनावटी है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय नेउक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12–03–2018 से प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीद्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–05–2018 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5, 6, 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही मात्र रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। वादी द्वारा वाद में उठाये गये बिन्दु विधि एवं तथ्यों के मिश्रित बिन्दु हैं, जिस पर तनकियात कायम कर साक्ष्यों को आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय वडिकी दिनांक निरस्त फरमायी जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर आधार पर किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested

हमनेविद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संख्या 2067 से 2070 में विवादित आराजियात प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के खातेदारी में दर्ज है। वादी/अपीलान्ट का कथन है कि उसके द्वारा इस भूमि के पूर्व खातेदार से विवादित आराजियात 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये में क्रय की गयी है एवं इस बाबत् उसके द्वारा 100/– रूपये के स्टाम्प पर एक विक्रय इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड है एवं प्रोपर स्टाम्प पर नहीं होकर मात्र विक्रय इकरार है। विक्रय इकरार के आधार पर खातेदारी घोषणा का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद बार्ड बाय लॉ मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–03–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।निर्णय आज दिनांक 21–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

भैरूसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत,नि0 वंगरोदा, तह. मावली, जिला उदयपुर बनाम**भंवरलाल पिता स्व. टेकचन्द्र डांगी, निवासी वागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**54 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**मावली**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**12**.....माह.....**03**.....**2018**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**.....माह.....**08**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष शर्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–03–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .....**X**.....
.
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**08**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested